



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-02052023-245592
CG-GJ-E-02052023-245592

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]
No. 278]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2023/वैशाख 11, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2023/VAISAKHA 11, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 26 अप्रैल, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बीमा व्यवसाय का बाजार संचालन)
विनियम, 2023

फा. सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी035.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नांकित नियम बनाता है, अर्थात् -

अध्याय- I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता -

- इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार संचालन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- ये नियम सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के बीमा कार्यालयों (आईआईओ) पर लागू होंगे, और यहां निर्दिष्ट सीमा तक अंतरराष्ट्रीय बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईएस) पर भी लागू होंगे।

2. उद्देश्य—

इन विनियमों का उद्देश्य आईआईओ या आईआईआईओ द्वारा किए गए बीमा व्यवसाय के प्रबंधन नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण और बाजार संचालन से संबंधित नियामक ढांचे को स्थापित करना है।

3. परिभाषाएं—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) **'अधिनियम'** का अभिप्राय: है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);
- (ख) **'प्राधिकरण'** या **'आईएफएससीए'** का अभिप्राय: अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (ग) **'लाभ'** सेकमीशन, क्षतिपूर्ति, कूपन, प्रोत्साहन, प्रदर्शन-आधारित बोनस, पुरस्कार, पारिश्रमिक, स्टॉक विकल्प, ग्रेच्युटी, बीमा सुरक्षा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या दोनों रूप में प्रोत्साहन के कतिपय वचन या भुगतान, अवसंरचना स्थापित करने की लागत, प्रतियोगिता पुरस्कार आदि संदर्भित है और इसमें समान प्रकृति का कोई अन्य भुगतान या प्रोत्साहन भी शामिल है;
- (घ) **'बोर्ड'** का अभिप्राय: आईआईओ के निदेशक मंडल; या आईआईओ की मूल एंटीटी के बोर्ड से है यदि आईआईओ अनिगमित रूप में है,;
- (ङ) **'पूंजी'** का अभिप्राय: आईआईओ की पूंजी से है, और इसमें इक्विटी शेयर पूंजी, अधिमान शेयर पूंजी और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं;
- (च) **'कमीशन'** का अभिप्राय: है किसी बीमा एजेंट, मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ को बीमा पॉलिसियों के अनुरोध, खरीद, प्रतिधारण या रूपांतरण के संबंध में उनकी सेवा का लाभ उठाने के लिए देय कोई लाभ;
- (छ) **'नियंत्रण'** का अभिप्राय: है अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार या किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों के आधार पर या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से कार्य करने का अधिकार शामिल है;
- (ज) **'गोपनीय सूचना'**,--
- (i) विदेशी एंटीटी के संबंध में, 'गोपनीय सूचना' का अभिप्राय: है विदेशी एंटीटी से प्राप्त जानकारी जिसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है जिसके संबंध में संबंधित विदेशी एंटीटी ने अनुरोध किया है कि गोपनीयता को या तो स्पष्ट रूप से या किसी समझौते या समझौता ज्ञापन के अधीन बनाए रखा जाए जिसके लिए विदेशी एंटीटी और प्राधिकरण दोनों हस्ताक्षरकर्ता हैं,
- (ii) घरेलू एंटीटी के संबंध में, 'गोपनीय सूचना' का अभिप्राय: है लागू घरेलू कानूनों में यथा-परिभाषित सूचना;
- (झ) **'सूचना का संरक्षक'** का अभिप्राय: है प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक के पद के समक्ष अधिकारी, जिसके अधीन गोपनीय जानकारी रखी जाती है;
- (ञ) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए 'घरेलू एंटीटी' का अभिप्राय: ऐसी एंटीटी से होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है;
- (ट) **'प्रबंधन के व्यय'** या **'ईओएम'** का अभिप्राय: है बीमा एजेंटों, मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों को देय कमीशन, पारिश्रमिक जैसे सभी परिचालन व्यय;
- स्पष्टीकरण:* आईआईओ पर प्रभारित आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर और अन्य करों जैसे लाभ ईओएम का हिस्सा नहीं होंगे;
- (ठ) **'विदेशी एंटीटी'** का अभिप्राय: भारत के बाहर निगमित और पंजीकृत एंटीटी से है और इसमें विदेशी वित्तीय नियामक प्राधिकरण शामिल है;

(ड) 'सूचना', -

- (i) विदेशी एंटीटी के संबंध में, विदेशी प्राधिकरण से संबंधित किसी विदेशी वित्तीय नियामक प्राधिकरण और/या किसी अन्य विदेशी वित्तीय एंटीटी से संबंधित किसी भी भौतिक रूप में जानकारी से अभिप्रेत है;
- (ii) घरेलू एंटीटी के संबंध में, इसका अभिप्राय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) में यथा-परिभाषित होगा;

ढ. "विनियमित एंटीटी" का अभिप्राय: किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एंटीटीसे है और इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए आवेदन करने वाली एंटीटी शामिल है;

ण. 'अनुरोधकर्ता प्राधिकारी' का अभिप्राय: इन विनियमों के अंतर्गत सूचना के लिए अन्य प्राधिकारी से अनुरोध करने वाले प्राधिकरण से है;

त. 'अनुरोधित प्राधिकरण' का अभिप्राय: है वह प्राधिकरण जिससे इन नियमों के अधीन सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है; .

थ. 'अधीनस्थ ऋण' का अभिप्राय: है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(30) में यथा-परिभाषित "डिबेंचर" और इसमें प्राधिकरण द्वारा अनुमत कोई अन्य ऋण लिखित शामिल है।

- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अभिप्राय: क्रमशः वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुनराधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में उनके लिए नियत किए गए हैं।

अध्याय- II

शेयरधारिता पैटर्न और प्रबंध नियंत्रण में परिवर्तन

4. इस अध्याय के प्रावधान अनिगमित रूप में स्थापित आईआईओपर लागू नहीं होंगे,

बशर्ते कि ऐसे आईआईओकी मूल एंटीटी अपने शेयरधारिता पैटर्न और प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, के विवरण के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगी।

बशर्ते यह भी कि ऐसे आईआईओकी मूल एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि आईआईओ द्वारा किए गए बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली सभी देयताओं को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट पूंजी या शोधन क्षमता मार्जिन के अनुरक्षण के संबंध में शेयरधारिता पैटर्न या प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन के बाद भी प्राधिकरण को दिए गए अपेक्षित वचनपत्र वैध बने रहेंगे।

5. प्रत्येक आईआईओकिसी भी एंटीटी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईआईओमें महत्वपूर्ण स्वामित्व या हित प्राप्त करके, पोर्टफोलियो ट्रांसफर के माध्यम से, शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव के लिए, उस पर नियंत्रण करने से रोकने के लिए सुनिश्चित करेगा।
6. शेयरधारिता पैटर्न या प्रबंधन नियंत्रण में किसी प्रस्तावित परिवर्तन के मामले में, आईआईओ-

(1) प्राधिकरण को उस प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा जिससे नियंत्रण में परिवर्तन हो सकता है;

(2) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी रूप में पूंजी जारी और आवंटित नहीं करना;

(3) प्राधिकरण को पोर्टफोलियो के प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में सूचित करना;

बशर्ते कि यदि प्रस्तावित परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन आईआईओद्वारा प्राप्त किया जाएगा।

(4) सुनिश्चित करें कि पोर्टफोलियो, शेयरधारिता पैटर्न या प्रबंधन नियंत्रण में प्रस्तावित परिवर्तन दावों की वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेंगे;

(5) प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में दावों की वरिष्ठता सुनिश्चित करें:

(क) पॉलिसीधारक,

- (ख) लेनदार,
- (ग) अधीनस्थ ऋण धारक,
- (घ) अधिमान शेयरधारक, और
- (ङ) इक्विटी शेयरधारक।
- (6) किसी भी लिखत की गारंटी नहीं देना जो दावों की वरिष्ठता को प्रभावित कर सकता है;
- (7) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, अधिमान शेयरों पर लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं, या किसी अधीनस्थ ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, जहां -
- (क) शोधन क्षमता अनुपात प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट शोधन क्षमता के न्यूनतम नियंत्रण स्तर से नीचे है;
- (ख) इस तरह के उपार्जन/भुगतान के प्रभाव के परिणामस्वरूप शोधन क्षमता का नियंत्रण स्तर निर्दिष्ट नियामकअपेक्षा से नीचे गिरेगा या /नीचे बना रहेगा; या
- (ग) लाभांश या ब्याज (उपार्जित ब्याज सहित) के भुगतान के परिणामस्वरूप निवल हानि होगी या निवल हानि में वृद्धि होगी।
- (8) प्राधिकरण को शेयरधारकों या किसी अन्य एंटिटी के बारे में अग्रिम रूप से पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जो पोर्टफोलियो अंतरण या नियंत्रण में परिवर्तन के कारण मुआवजे के पात्र हो सकते हैं;
7. 'उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन' की गणना के उद्देश्य से प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के लिखतों पर लाभांश मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है;
8. प्राधिकरण आईआईओकी पूंजी जारी करने और आवंटितकरने के संबंध में दिशानिदेश जारी कर सकता है;
9. किसी आईआईओसे जुड़े विलय, समामेलन या अंतरण के मामले में, ऐसा आईआईओप्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि -
- (क) विलय की गई प्रस्तावित एंटिटी का उपलब्ध शोधन क्षमता मार्जिन आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन से कम नहीं होगा;
- (ख) योजना सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप है; और
- (ग) योजना पॉलिसीधारकों के सर्वोत्तम हितों से समझौता नहीं करती है।

अध्याय - III

आंतरिक प्रशासनिक नियंत्रण

10. प्रबंधन के व्यय -

- (1) प्रत्येक आईआईओ संबंधित बीमा खंडों के अधीन प्रत्यक्ष व्यय के आवंटन और प्रबंधन के अप्रत्यक्ष व्यय के विभाजन के लिए, अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नीति तैयार करेगा;
- (2) ऐसी नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित समाहित होंगे -
- (क) व्यय जो आवंटित किया जाएगा और उसका आधार;
- (ख) व्यय जो विभाजित किया जाएगा और उसका आधार;
- (ग) पॉलिसियों के अधिग्रहण और नवीनीकरण पर व्यय, और इस तरह के आवंटन और/या विभाजन का तरीका; और
- (घ) वह तरीका जिससे नीति को लागू किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण द्वारा निदेशित किए जाने पर उसे प्रबंधन के व्यय पर अनुमोदित नीति प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) प्राधिकरण प्रबंधन के व्यय को प्रस्तुत करने के तरीके और रूप को निर्दिष्ट करेगा।

वर्षों किअनिगमित रूप में आईआईओ, अपनी मूल एंटिटीके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को अपना सकते हैं, यदि इसके अंतर्गत इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट मानकों को शामिल किया गया है।

11. कमीशन का भुगतान -

- (1) प्रत्येक आईआईओबीमा एजेंटों, मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों को कमीशन के भुगतान के लिए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नीति तैयार करेगा।
- (2) ऐसी पॉलिसी पॉलिसीधारकों के हितों पर विचार करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित को समाहित करेगी -
 - (क) बीमा एजेंटों, मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों को देय न्यूनतम और अधिकतम पात्रता सहित कमीशन और/या प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त सेवाओं को निर्दिष्ट करना; और
 - (ख) लागत दक्षता उपाय करना।
- (3) कमीशन का भुगतान आईआईओके प्रबंधन के खर्च पर नीति के अनुरूप होगा;
- (4) प्राधिकरण द्वारा निदेशित किए जाने पर उसे कमीशन के भुगतान के बारे में अनुमोदित नीति प्रस्तुत की जाएगी;
- (5) प्रत्येक आईआईओ इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं का भी पालन करेगा।

12. व्यवसाय के स्थान -

- (i) प्रत्येक आईआईओ व्यवसाय के स्थानोंको प्रारंभ करने या बंद करने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए, अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित नीति तैयार करेगा;
- (ii) आईआईओव्यवसाय के स्थान को प्रारंभ करने या बंद करने से पहले प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा;
- (iii) आईआईओ, व्यवसाय के स्थान को बंद करते समय, मौजूदा पॉलिसीधारकों को बीमा सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि उनके दावों की सर्विस करने के साथ-साथ उन्हें वैकल्पिक सुविधाएं प्रदान करने और इस तरह से बंद किए जानेमेंनिहित जोखिमों को भी कम करेगा।

13. कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग -

- (1) प्रत्येक आईआईओसुनिश्चित करेगा -
 - (क) कि यह नकारात्मक प्रणालीगत प्रभाव को रोकने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से आउटसोर्सिंग से उत्पन्न जोखिमों के प्रबंधन पर विवेकपूर्ण प्रथाओं का पालन हो;
 - (ख) कि कुछ कार्यकलापों को आउटसोर्स करते समय प्रभावी निरीक्षण और पर्याप्त समुचितलगनहेतु ठोस और उत्तरदायी प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया जाए;
 - (ग) सभी पॉलिसीधारकों से संबंधित डेटा की गोपनीयता बनाए रखी जाए।
- (2) आईआईओ, किसी भी एंटिटी को डेटा साझा करने से पहले, पॉलिसीधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा के लिए सेवा स्तर समझौते के प्रासंगिक खंड के अधीन गैर-प्रकटीकरण समझौता संपन्न करेगा।
- (3) प्रत्येक आईआईओ प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं का पालन करेगा।

14. देशीय या विदेशी एंटिटी से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करना -

- (1) विनियमित एंटिटी से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण निम्नांकित के अधीन होगा -
 - (क) जानकारी का प्रकटीकरण केवल अपने कर्तव्यों के वैध प्रदर्शन के एकमात्र उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के लिए अनुरोधकर्ता प्राधिकरण से सहायता के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर किया जा सकता है;
 - (ख) आईएफएससीए अनुरोधित प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी को परिक्षित, संरक्षित करने और इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक अधिकारी को नियुक्ति सूचना के संरक्षक के रूप में करेगा;

- (ग) जहां आईएफएससीए ने अनुरोधित प्राधिकरण से गोपनीय जानकारी प्राप्त की है और आईएफएससीए से ऐसी जानकारी कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुरोध के अधीन मांगी गई है तो आईएफएससीए ऐसी सूचना को साझा करने से पूर्व ऐसे अनुरोधित प्राधिकरण की सहमति को अधिसूचित करेगा और सहमति की मांग करेगा;
- (घ) यदि अनुरोधित प्राधिकरण इस तरह की जानकारी साझा करने की सहमति नहीं देता है, तो आईएफएससीए जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण के लिए ऐसी मांग का विरोध करने के लिए सभी उचित कानूनी साधनों का उपयोग करेगा;
- (ङ) आईएफएससीए के साथ काम करते समय अपने कर्तव्यों के दौरान किसी अनुरोधित प्राधिकरण या किसी विनियमित एंटीटी से प्राप्त गोपनीय जानकारी तक पहुँचने वाले आई एफएससीए के सभी वर्तमान और पूर्व कर्मचारी और एजेंट, व्यावसायिक गोपनीयता के दायित्व से संबंधित होंगे; ;
- (च) आईएफएससीए विनियमित एंटीटियों या किसी अनुरोधित प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त अपेक्षाओं, दायित्वों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करेगा।
- (2) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 20 के अधीन मांगी जा सकने वाली जानकारी गैर-व्यावसायिक है और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में आती है। इस उपबंध के अधीन सभी अनुरोधों की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि कोई भी जानकारी जो विनियमित एंटीटियों या बीमा उद्योग की प्रतिस्पर्धा या स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, साझा नहीं की जाए।
- (3) हमारे सांविधिक और नियामक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मांगी गई जानकारी -
- (क) अधिनियम की पहली अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित नियामकों सहित घरेलू नियामक,
- (ख) अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक और अभिकरण;
- (ग) विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण, भारत सरकार, न्यायपालिका, अपने कार्यों के कानूनीनिष्पादन में विधि प्रवर्तन अभिकरण,
- यह आकलन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जांच की जाएगी कि क्या यह (क) साझा करने योग्य जानकारी; या (ख) गैर-साझा करने योग्य जानकारी है।
- (4) सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध न होने वाली जानकारी की साझा करने की क्षमता का मूल्यांकन निम्नलिखित व्यापक विचार द्वारा निर्देशित होगा -
- (क) किए गए अनुरोध के लिए ठोस कारण - क्या ऐसे कारण ऐसे अधिकारियों के कर्तव्यों के कानूनी कार्य-निष्पादन में सहायक हैं;
- (ख) मांगी गई जानकारी का स्वरूप (स्वामित्व स्वरूप की नहीं);
- (ग) मांगी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना; और
- (घ) किए गए अनुरोध की पारस्परिकता।
- (5)
- i. इन विनियमों के अधीन सूचना के लिए प्रत्येक अनुरोध पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।
- ii. किसी एंटीटी के संबंध में मांगी गई जानकारी को साझा करने या न करने का निर्णय लेते समय, आईएफएससीए निम्नलिखित सिद्धांतों से निर्देशित होगा-
- (क) क्या मांगी गई जानकारी गोपनीय है और इससे कंपनी पर वाणिज्यिक या अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
- (ख) क्या ऐसी सूचना का उपयोग एंटीटी के प्रतिस्पर्धी द्वारा अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- (6) अनुरोधित प्राधिकरण ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा जो उसकी राय में उसकी विनियमित एंटीटी या बीमा उद्योग की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।

- (7) इस विनियमन के किसी भी खंड या खंडों के बीच और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत आईएफएससीए पर डाले गए दायित्वों में किसी भी असंगतता की स्थिति में, इस तरह की विसंगति की सीमा तक, बाद वाला प्रभावी होगा।

अध्याय - IV

बाजार आचरण

15. पॉलिसीधारकों को अधिशेष का वितरण -

- (1) जीवन बीमा व्यवसाय करने के लिए अनुमत प्रत्येक आईआईओको निम्नांकित का अनुरक्षणअलग से करना होगा -
- (क) सहभागी पॉलिसीधारकों के लिए जीवन बीमा कोष; और
- (ख) असहभागी पॉलिसी धारकों के लिए जीवन बीमा कोष;
- (2) जीवन बीमा व्यवसाय करने के लिए अनुमत प्रत्येक आईआईओके पास सहभागी या गैर-प्रतिभागी पॉलिसियों के पॉलिसीधारकों को अधिशेष का वितरण करने के संबंध में बोर्ड से अनुमोदित नीति होगी;
- (3) आईआईओ पॉलिसीधारकों को प्रासंगिक उपबंधों का खुलासा करेंगे और साथ ही अपनी खाता बहियों में इसके लिए प्रावधान करेंगे;
- (4) प्राधिकरण द्वारा निदेशित किए जाने पर पॉलिसीधारकों को अधिशेष के वितरण संबंधी अनुमोदित नीति प्रस्तुत की जाएगी।

16. जीवन बीमा पॉलिसियों के समर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण -

- (1) जीवन बीमा कारोबार करने के लिए अनुमत प्रत्येक आईआईओ पॉलिसीधारकों को उन शर्तों जिनके अधीन जीवन बीमा पॉलिसी समर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और प्रदत्त मूल्य से समर्पण मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र के बारे में खुलासा करेगा।
- (2) आईआईओ प्रदत्त मूल्य के आधार पर संबद्ध और असंबद्ध जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य का समय पर भुगतान करने के उपबंधों का अनुरक्षण करेगा।

17. वार्षिकी और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमा:-

- (1) जीवन बीमा व्यवसाय करने और पेंशन और वार्षिकी उत्पाद से निपटने के लिए अनुमत प्रत्येक आईआईओ, ऐसे उत्पादों को इस तरह से डिजाइन करेगा कि यह पॉलिसीधारक की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करे और यह प्रतीकात्मक मात्र नहीं होना चाहिए;
- (2) पेंशन और वार्षिकी उत्पादों से संबंधित आईआईओ प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट राशि से कम राशि का भुगतान नहीं करेगा और न ही कम राशि का भुगतान करने का वचन देगा।

18. विज्ञापन :-

- (1) प्रत्येक आईआईओ और आईआईआईओ, जैसा भी मामला हो, विज्ञापन जारी करते समय निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी प्रथा अपनाएगा और उन प्रथाओं से परहेज करेगा जो आम जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास करती हैं;
- (2) आईआईओ और आईआईआईओ द्वारा किसी भी विधि या माध्यम से जारी किए गए सभी विज्ञापन -
- (क) प्रासंगिक, निष्पक्ष और सरल भाषा में होंगे, ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे;
- (ख) इनमें सत्यता और ईमानदारी का निरूपण निहित होगा;
- (ग) इनमें सटीक डेटा होगा और इसकी पुष्टि करने की सक्षमता होगी;
- (घ) ये सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञापन भारत में सभी लागू विज्ञापन मानकों और कानूनों के अनुपालन में है।
- (3) प्रत्येक आईआईओ और आईआईआईओ, जैसा भी मामला हो, अपनी ओर से किए गए सभी प्रकार के विज्ञापनों में संचार की सटीकता के लिए उत्तरदायी होगा;

- (4) प्रत्येक आईआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसीधारक को जारी की गई पॉलिसी इसकी ओर से जारी किए गए विज्ञापनों के अनुरूप है।

19. पॉलिसीधारकों का संरक्षण:-

- (1) प्रत्येक आईआईओ पर उसके सभी प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए इस विनियम के उपबंध लागू होंगे।
- (2) प्रत्येक आईआईओ और आईआईआईओ पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए, अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीति तैयार करेंगे;
- (3) ऐसी नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल होंगे -
- (क) बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम ताकि पॉलिसीधारकों को बीमा उत्पादों, लाभों और उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में सुविज्ञ किया जा सके;
- (ख) सुनिश्चित करें कि आईआईओ और आईआईआईओ, पॉलिसीधारकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करेंगे और बीमा पॉलिसियों की बिक्री और सेवा में मानक प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करेंगे;
- (ग) बिक्री और सेवा के बिंदु पर गलत बिक्री और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम;
- (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम कि पॉलिसी आग्रह और बिक्री के चरणों के दौरान, संभावनाओं को पूरी तरह से सूचित किया जाए और बेचे जाने वाले उत्पाद के लाभों के साथ-साथ उससे जुड़ी उत्पाद सुविधाओं और उत्पाद के नियमों और शर्तों से अवगत कराया जाए ताकि उत्पाद के लाभ/वापसी का गलत विवरण/गलत निरूपण न हो।
- (ङ) प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिवर्तन काल सहित सेवा मापदंड;
- (च) शिकायत निवारण पर जोर देने और पॉलिसीधारकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आईआईओ द्वारा पॉलिसीधारक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करना;
- (छ) शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रक्रिया;
- (ज) बीमा पॉलिसियों की बिक्री और सेवा में मानक प्रक्रियाएं और सर्वोत्तम प्रथाएं,
- (झ) सरल और पारदर्शी दावा निपटान प्रक्रियाएं।
- (4) प्रत्येक आईआईओ अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सेवा मापदंडों और प्रतिवर्तन काल को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा और बोर्ड द्वारा सेवा मापदंड और प्रतिवर्तन काल को संशोधित किए जाने पर इसे अद्यतन रखेगा।
- (5) जब भी प्राधिकरण निदेश देगा, बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की सुरक्षा पर अनुमोदित नीति प्रस्तुत की जाएगी।

बशर्ते कि अनिगमित रूप में, आईआईओ अपनी मूल एंटिटियों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपना सकते हैं, यदि इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है।

अध्याय - V

मिश्रित

20. रिपोर्टिंग और सामान्य अपेक्षाएं -

- (1) प्रत्येक आईआईओ प्राधिकरण या पॉलिसीधारकों को इन विनियमों के अधीन अपेक्षाओं से संबंधित जानकारी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके, अंतराल और रूपों में प्रस्तुत करेगा;
- (2) प्रत्येक आईआईओ बीमा तंत्र में विश्वास पैदा करने और बीमा सजगता और बीमा के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए, पॉलिसीधारक के प्रति निष्पक्षता मानदंडों, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और पारदर्शिता से निदेशित होगा।

21. प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट करने की शक्ति -

प्राधिकरण इन नियमों और प्रासंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए, आईआईओ या आईआईआईओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुपालन के लिए मानदंड, प्रक्रिया, विधियां और तरीके निर्दिष्ट कर सकता है।

22. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के सख्त प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

- (1) प्राधिकरण इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है;
- (2) प्राधिकरण, निर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

23. कतिपय विनियमों की अनुपलब्धता और व्यावृत्तियां -

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और तारीख से इसके अधीन जारी किए गए निम्नांकित विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में लागू होना बंद हो जाएगा।
 - (i) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002;
 - (ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन की योजना और सामान्य बीमा व्यवसाय का अंतरण) विनियम, 2011;
 - (iii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (घरेलू या विदेशी इकाई से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करना) विनियम, 2012;
 - (iv) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन की योजना और जीवन बीमा व्यवसाय का अंतरण) विनियम, 2013;
 - (v) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015;
 - (vi) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारोबार करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी जारी करना) विनियम, 2015;
 - (vii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के अलावा अन्य लेनदेन करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी जारी करना) विनियम, 2015;
 - (viii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वार्षिकी और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमा) विनियम, 2015;
 - (ix) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015;
 - (x) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017;
 - (xi) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का आउटसोर्सिंग) विनियम, 2017;
 - (xii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021;
 - (xiii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन पर शेयरधारकों या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के आकलन की विधि) विनियम, 2021
 - (xiv) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पूंजी के अन्य रूप) विनियम, 2022;
 - (xv) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय का संव्यवहार करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का व्यय) विनियम, 2023;
 - (xvi) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन का व्यय) विनियम, 2023;

- (xvii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023
- (2) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के शुरू होने से पहले, उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों, परिपत्रों या दिशानिदेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्रवाई इन नियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई माना जाएगा।
- (3) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत आईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होने से तीन माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./52/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 26th April, 2023

International Financial Services Centres Authority (Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business) Regulations, 2023

F. No. IFSCA/2022-23/GN/REG035 .— In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clause (zd) of sub-section (2) of Section 114A of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely -

CHAPTER- I

General

1. Short title, commencement and applicability -

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These regulations shall be applicable to all International Financial Services Centres Insurance Offices (IIOs), and also to the International Insurance Intermediary Offices (IIIOs), to the extent specified hereunder.

2. Objective –

These regulations aim to put in place the regulatory framework related to Management Control, Administrative Control and Market Conduct of insurance business carried out by an IIO or IIIO.

3. Definitions –

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires –
- (a) ‘Act’ means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) ‘Authority’ or ‘IFSCA’ means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
- (c) ‘benefits’ refers to any promise or payment of incentive, direct or indirect, or both, in the nature of commissions, compensations, coupons, incentives, performance-based bonuses, rewards, remunerations, stock options, gratuity, insurance protection, cost of setting up infrastructure, competition prizes etc. and includes any other payment or incentive of similar nature;
- (d) ‘Board’ means the board of directors of an IIO; or the Board of the Parent Entity of an IIO, in case the IIO is in an unincorporated form;
- (e) ‘capital’ means the capital of an IIO, and includes equity share capital, preference share capital and subordinated debt;

- (f) **‘commission’** means any benefit payable to an insurance agent, intermediary or insurance intermediary in consideration of availing their services in relation to solicitation, procurement, retention or conversion of insurance policies;
- (g) **‘control’** means and include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;
- (h) **‘confidential information’**—
- (i) in relation to a foreign entity, means the information obtained from a foreign entity that cannot be made available in public domain regarding which the concerned foreign entity has requested that secrecy be maintained either explicitly or under any agreement or Memorandum of Understanding to which both the foreign entity and the Authority are signatories,
- (ii) in relation to domestic entity, means the information defined as such in the applicable domestic laws;
- (i) **‘custodian of information’** shall mean an officer, not below the rank of Deputy General Manager, of the Authority in whose custody the confidential information is kept;
- (j) **‘domestic entity’** for the purposes of these regulations shall mean an entity registered with the Authority for carrying out insurance or re-insurance business in an International Financial Services Centre;
- (k) **‘expenses of management’** or **‘EoM’** includes all operating expenses such as commission, remuneration payable to the insurance agents, intermediaries or insurance intermediaries;
- Explanation:* charges against profit such as income tax, wealth tax, service tax and other taxes borne by the IIO shall not form part of EoM;
- (l) **‘Foreign entity’** means an entity incorporated and registered outside India and includes a foreign financial regulatory authority;
- (m) **‘information’**—
- (i) in relation to a foreign entity, means information in any material form relating to a foreign authority being a foreign financial regulatory authority and/or information relating to any other foreign financial entity;
- (ii) in relation to a domestic entity, shall be as defined in Section 2 (f) of The Right to Information Act 2005;
- (n) **‘regulated entity’** means an entity registered with the Authority for carrying insurance or re-insurance business in the International Financial Services Centre and includes an entity which has applied for carrying out insurance or re-insurance business in the International Financial Services Centre;
- (o) **‘requesting authority’** means the authority making request to other authority for information under these regulations;
- (p) **‘requested authority’** means the authority to whom request for information is made under these regulations;
- (q) **‘subordinated debt’** for the purposes of these regulations means “Debenture” as defined in Section 2(30) of the Companies Act, 2013 and includes any other debt instrument permitted by the Authority.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations or notifications made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER- II

Change in Shareholding Pattern and Management Control

4. The provisions of this Chapter shall not be applicable to an IIO set up in an unincorporated form;

Provided that the Parent Entity of such IIO shall immediately notify the Authority about the changes, if any, in its Shareholding Pattern or Management Control;

Provided further that the Parent Entity of such IIO shall ensure that the undertakings given to the Authority regarding maintenance of assigned capital or solvency margin and for meeting all liabilities arising out of insurance or re-insurance business carried out by such IIO, shall continue to remain valid even after change in shareholding pattern or management control.

5. An IIO shall endeavour to prevent any entity from exercising control over it, directly or indirectly, by acquiring significant ownership or interest in the IIO, through portfolio transfers, leading to change in shareholding pattern.
6. In case of any proposed change in shareholding pattern or management control, an IIO shall-
 - (1) inform the Authority of the proposal that could lead to change in control;
 - (2) not issue and allot capital in any form, without obtaining prior approval of the Authority;
 - (3) inform the Authority about proposed change of portfolios;

Provided that in case the proposed change is beyond the limit specified by the Authority, prior approval from the Authority shall be obtained by the IIO.
 - (4) ensure that the proposed changes in portfolio, shareholding pattern or management control do not affect the seniority of claims;
 - (5) ensure seniority of the claims in the following order of priority:
 - (a) policyholders,
 - (b) creditors,
 - (c) subordinated debt holders,
 - (d) preference shareholders, and
 - (e) equity shareholders.
 - (6) not guarantee any instrument which may affect seniority of claims;
 - (7) not pay dividends on Preference Shares, or pay interest on any Subordinated Debt, without prior approval of the Authority, where –
 - (a) the solvency ratio is below the minimum Control Level of Solvency, as specified by the Authority;
 - (b) the impact of such accrual/ payment would result in the Control Level of Solvency falling or remaining below the specified regulatory requirement; or
 - (c) payment of dividend or interest (including accrued interest) would result in net loss or increase the net loss.
 - (8) provide complete details to the Authority in advance, about the shareholders or any other entities which may be eligible for compensation due to portfolio transfer or change in control;
7. The Authority may specify the hair-cut norms on different type of instruments for the purposes of computing 'Available Solvency Margin';
8. The Authority may issue guidelines in relation to issuance and allocation of capital of the IIOs;
9. In case of a merger, amalgamation or transfer involving an IIO, such IIO shall obtain prior approval of the Authority and shall also ensure that –
 - (a) the available solvency margin of the proposed merged entity will not be lower than the required solvency margin;
 - (b) the scheme is compliant with all applicable laws and regulations; and
 - (c) the scheme does not compromise on the best interests of the policyholders.

CHAPTER - III**Internal Administrative Controls****10. Expenses of Management –**

- (1) Every IIO shall formulate a policy, duly approved by its Board, for allocation of direct expenses and apportionment of indirect expenses of management under respective insurance segments;
- (2) Such policy shall, *inter-alia*, include the following –
 - (a) the expenses that shall be allocated and the basis thereof;
 - (b) the expenses which shall be apportioned and the basis thereof;
 - (c) the expenses of acquisition and renewal of policies, and the manner of such allocation and / or apportionment; and
 - (d) the manner in which the Policy shall be implemented and adhered to.
- (3) The approved policy on expenses of management shall be submitted to the Authority, as and when directed by it.
- (4) The Authority may specify the manner and form for submission of details of expenses of management.

Provided that an IIO in an unincorporated form, may adopt Board approved policy of its parent entity, if the standards specified under these regulations are covered thereunder.

11. Payment of Commissions –

- (1) Every IIO shall formulate a policy, duly approved by its Board, for payment of commissions to insurance agents, intermediary or insurance intermediary.
- (2) Such policy shall consider the interests of policyholders and *inter-alia* include the following –
 - (a) specify the services that qualify for commissions and/ or incentives, including the minimum and maximum entitlements payable to the insurance agents, intermediaries or insurance intermediaries; and
 - (b) cost efficiency measures.
- (3) The payment of commission shall be commensurate with policy on expenses of management of the IIO;
- (4) The approved policy on payment of commission shall be submitted to the Authority, as and when directed by it;
- (5) Every IIO shall also comply with other requirements as may be specified by the Authority in this regard.

12. Places of Business -

- (1) Every IIO shall formulate a policy, duly approved by its Board, for procedures to be followed for opening or closing of a place of business;
- (2) Every IIO shall obtain prior approval of the Authority before opening or closing of a place of business;
- (3) Every IIO, while closing a place of business, shall mitigate the risks involved on account of such closure, including but not limited to, providing alternate facilities to existing policyholders ensuring uninterrupted access to insurance services, as well as servicing of their claims.

13. Outsourcing of Activities -

- (1) Every IIO shall ensure -
 - (a) that it follows prudent practices on management of risks arising out of outsourcing with a view to preventing negative systemic impact and to protect the interests of the policyholders;
 - (b) that sound and responsive management practices are followed for effective oversight and adequate due diligence is maintained while outsourcing the activities;
 - (c) the privacy of data in respect of all policyholders.
- (2) Every IIO shall, prior to sharing of data related to policyholders, either execute a non-disclosure agreement (NDA) with the outsourcing agency or include relevant clauses of NDA in the service level agreement executed with such agency.

- (3) Every IIO shall comply with other requirements regarding outsourcing arrangements, as may be specified by the Authority.

14. Sharing of confidential information concerning domestic or foreign entity -

- (1) Disclosure of information related to a regulated entity shall be subject to the following –
- (a) The disclosure of information can be made only on receipt of a written request from the requesting authority for the sole purpose of the lawful performance of its duties;
 - (b) The IFSCA shall appoint an official as Custodian of Information to preserve, protect and maintain the confidentiality of information received from requested authority;
 - (c) Where IFSCA has received confidential information from a requested authority and such information is sought from IFSCA under a legally enforceable request, the IFSCA will notify and seek consent of such requested authority prior to sharing such information;
 - (d) In case the requested authority does not give consent for sharing of such information, the IFSCA shall use all reasonable legal means to resist such a demand to protect the confidentiality of the information;
 - (e) All present and past employees and agents of the IFSCA having access to confidential information, received either from a requested authority or a regulated entity, in the course of their duties while working with the IFSCA, shall be bound by an obligation of professional secrecy;
 - (f) The IFSCA may specify additional requirements, obligations and procedures for maintenance of confidentiality of information received from regulated entities or any requested authority.
- (2) The information that can be sought under section 20 of the Insurance Act, 1938 is non-commercial and largely in public domain. All requests under this provision shall be examined to ensure that no information which may affect competition or stability of the regulated entities or the insurance industry, are shared.
- (3) Information sought for carrying out statutory and regulatory purposes by –
- (a) domestic regulators, including the regulators mentioned in column (2) of the First Schedule of the Act,
 - (b) International supervisors and agencies;
 - (c) various public authorities, Government of India, Judiciary, law enforcement agencies in the lawful performance of their functions,
- shall be individually examined to assess whether it is (a) sharable information; or (b) non-sharable information.
- (4) The assessment on shareability of the information not available in the public domain would be guided by the following broad considerations –
- (a) convincing reason for the request made – whether such reasons are to assist the lawful performance of the duties of such authorities;
 - (b) nature of information sought (not proprietary);
 - (c) maintenance of confidentiality of the information sought; and
 - (d) reciprocity of the request made.
- (5) (i) Each request for information under these regulations shall be considered on its merit.
- (ii) While taking a decision on whether to share the information sought regarding an entity or not, the IFSCA shall be guided by the following principles–
- (a) whether the information sought is confidential and is likely to adversely affect the entity, commercially or otherwise; or
 - (b) whether the information sought could be used by the competitors of the entity for their gain.
- (6) The requested authority may not share any information which in its opinion could possibly impact the stability of its regulated entity or the insurance industry.

- (7) In the event of any inconsistency between any clause or clauses of this regulation and the obligations cast on the IFSCA under the Multilateral Memorandum of Understanding with International Association of Insurance Supervisors, the latter shall prevail to the extent of such inconsistency.

CHAPTER - IV

Market Conduct

15. Distribution of Surplus to Policyholders -

- (1) Every IIO permitted to transact life insurance business shall separately maintain –
- (a) a life insurance fund for participating policy holders; and
 - (b) a life insurance fund for non-participating policy holders;
- (2) Every IIO permitted to transact life insurance business shall have a Board approved policy regarding Distribution of Surplus to Policyholders of Participating or Non-Participating Policies;
- (3) Every IIO shall disclose the relevant provisions in this regard to the policyholders as well as make provisions for the same in their book of accounts;
- (4) Every IIO shall submit the approved policy on distribution of surplus to the policyholders to the Authority, as and when directed by it.

16. Acquisition of Surrender and Paid-up Values of Life Insurance Policies –

- (1) Every IIO permitted to transact life insurance business, shall disclose to the policyholders about the conditions under which a Life Insurance Policy would acquire a Surrender Value, and the formula to be used for computing the Surrender Value from the Paid-Up Value.
- (2) Every IIO shall maintain provisions for making timely payments of Surrender Value of Linked and Non-Linked Life Insurance policies based on the Paid-up Values.

17. Minimum Limits for Annuities and other Benefits: -

- (1) Every IIO permitted to transact life insurance business and dealing with pension and annuities product, shall design such products in such a way that it addresses the actual need of the policyholder and should not be merely symbolic;
- (2) An IIO dealing with pension and annuities products shall not pay or undertake to pay amounts less than the amount as may be specified by the Authority.

18. Advertisements: -

- (1) Every IIO and IIIIO, as the case may be, shall adopt fair, honest and transparent practices while issuing advertisements and avoid practices that tend to impair the confidence of the general public;
- (2) All advertisements issued by an IIO and IIIIO, as the case may be, through any mode or medium shall –
- (a) be relevant, fair and be in simple language, enabling informed decision making by prospect;
 - (b) contain truthful and honest representation;
 - (c) contain accurate data and be capable of substantiation;
 - (d) ensure that the advertisement is in compliance with all applicable advertisement standards and relevant laws in India.
- (3) An IIO and IIIIO, as the case may be, shall be responsible for the accuracy of the communications in all forms of advertisements issued on its behalf;
- (4) An IIO shall ensure that policy issued to the policyholder is in conformity with the advertisements issued on its behalf.

19. Policyholders' Protection:-

- (1) The provisions of this regulation shall be applicable to every IIO for all their direct insurance businesses.
- (2) Every IIO and IIIIO shall formulate a policy, duly approved by its Board, for protection of interest of the policyholders;
- (3) Such policy shall, *inter-alia*, include the following –

- (a) steps to be taken for enhancing insurance awareness so as to educate policyholders about insurance products, benefits and their rights and responsibilities;
 - (b) provisions to ensure that IIO and IIIIO, fulfil their obligations towards policyholders;
 - (c) steps to be taken to prevent mis-selling and unfair business practices at point of sale and service;
 - (d) steps to be taken to ensure that during policy solicitation and sale stages, the prospects are fully informed and made aware of the benefits of the product being sold vis-a-vis the product features and the terms and conditions of the product, so that the benefits / returns of the product are not mis-stated / mis-represented;
 - (e) service parameters including turnaround times for various services rendered;
 - (f) policyholder-centric governance by the IIO with emphasis on grievance redressal and to fulfil their obligations towards policyholders;
 - (g) procedure for expeditious resolution of complaints;
 - (h) standard procedures and best practices in the sale and service of insurance policies;
 - (i) simple and transparent claims settlement procedures.
- (4) Every IIO shall display the service parameters and turnaround times, as approved by its Board, on its website and keep the same updated as and when these are revised by the Board.
 - (5) The approved policy on protection of interest of the policyholders shall be submitted to the Authority, as and when directed by it.

Provided that the IIOs, set up in unincorporated form, may adopt Board approved policies of their parent entities, if the standards specified in these regulations are covered thereunder.

CHAPTER – V

Miscellaneous

20. Reporting and general requirements -

- (1) Every IIO shall furnish information relating to the requirements under these regulations to the Authority or policyholders in such manner, interval and forms as may be specified by the Authority;
- (2) Every IIO shall be guided by norms of fairness to the policyholder, international best practices and transparency to build trust in the insurance mechanism and to build insurance awareness and insurance literacy.

21. Power to specify procedure, etc. -

For the purpose of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners for compliance by the IIOs or IIIIOs, as the case may be.

22. Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:

- (1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars;
- (2) On an application, received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

23. Non-applicability of certain regulations and savings –

- (1) On and from the commencement of these regulations, following regulations, circulars or guidelines issued thereunder shall cease to apply in International Financial Services Centres.
 - (i) the Insurance Regulatory and Development Authority (Distributions of Surplus) Regulations, 2002;
 - (ii) the Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011;
 - (iii) the Insurance Regulatory and Development Authority (Sharing of Confidential Information Concerning Domestic or Foreign Entity) Regulations, 2012;

- (iv) the Insurance Regulatory and Development Authority (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013;
 - (v) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Places of Business) Regulations, 2015;
 - (vi) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life insurance business) Regulations, 2015;
 - (vii) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015;
 - (viii) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Minimum Limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015;
 - (ix) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015;
 - (x) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017;
 - (xi) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017;
 - (xii) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021;
 - (xiii) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
 - (xiv) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Other Forms of Capital) Regulations, 2022;
 - (xv) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2023;
 - (xvi) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023;
 - (xvii) the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Payment of Commission) Regulations, 2023.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the regulations, circulars or guidelines mentioned in sub-regulation (1), before the commencement of these regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations;
- (3) An IIO or IIIO, as the case may be, operating in International Financial Services Centre prior to the commencement of these regulations, shall comply with the additional requirements specified in these regulations, if any, within a period of three months from the of commencement of these regulations or within such extended period as may be specified by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[Advt.-III/4/Exty./52/2023-24]